भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3543
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार

3543. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बजट आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 3% की वृद्धि होने के बावजूद भी देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों, नर्सों और अस्पतालों की कमी है;
(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना का विस्तार करने तथा चिकित्सा सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों, नर्सों और अस्पतालों का विवरण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

(ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों की स्थापना और चिकित्सा कर्मियों की भर्ती सहित जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं:

- **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इसके तहत i) रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए गांवों और शहरों में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को सुदृढ़ करना; ii) जिला स्तर के अस्पतालों में नए गहन परिचर्या संबंधी बिस्तरों को बढ़ाना; iii) 11 उच्च फोकस वाले राज्यों में ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य

इकाइयों (बीपीएचयू) के लिए सहयोग; और iv) सभी जिलों में एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करना है।

- **पंद्रहवें वित्त आयोग** ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों हेतु स्थानीय सरकारों के माध्यम से अनुदान की सिफारिश की है और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की सुविधा के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच साल की अवधि में अनुदान देने की सिफारिश की है।
- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)** का उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाकेंद्रों को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं, अर्थात् (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना; और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नयन।
- केंद्र प्रायोजित योजना **'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना'** के तहत, जहाँ कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में, और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में है।

एनएचएम के तहत, देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने और उनके आवासीय क्वार्टरों के प्रति विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता ताकि उनको ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधाकेन्द्रों में सेवा करना आकर्षक लगे।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने वाले विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और दाई (एएनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य क्रियाकलापों के संचालन के लिए प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन लाने सहित बातचीत से तय समुचित वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है।
- एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कार्मिकों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य दाखिला और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल का समर्थन किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा परिणामों में सुधार लाने के लिए एनआरएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक और प्रमुख कार्यनीति है।

*****